

## सीएमपीएफओ के द्वारा संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी की प्रक्रिया प्रारंभ

सेवानिवृत्त होने के पश्चात कोयला खान पेंशन योजना 1998 के तहत मासिक पेंशन का भुगतान कोयला खान भविष्य निधि संगठन के द्वारा किया जाता है। पेंशन भोगी की मृत्यु के उपरान्त विधवा / विधुर पेंशन भुगतान का प्रावधान है, जिसके लिए विधवा / विधुर को उस इकाई / खान में जाकर अपना पेंशन दावा एवं दस्तावेज जमा करना होता है जहाँ से पेंशन भोगी सेवानिवृत्त हुआ था। विधवा / विधुर के उम्र - दराज होने के कारण इसमें काफी असुविधा होती है।

विधवा / विधुर पेंशन भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण तथा परेशानी मुक्त पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से सीएमपीएफओ द्वारा संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किये जाने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगी जिनके जीवनसाथी (पति / पत्नी) जीवित है उन्हें एसईसीएल के उस क्षेत्र में सम्पर्क कर निर्धारित फॉर्म में अपनी एवं अपने जीवनसाथी (पति / पत्नी) की जानकारी देना होगा। फॉर्म को पूर्णतः भरकर स्वयं एवं जीवनसाथी के आधार कार्ड, पैनकार्ड, संयुक्त बैंक बचत खाता पासबुक (जीवनसाथी के साथ फार्मर एवं सर्वाइवर मोड में) जिसमें पेंशन प्राप्त हो रही है की स्वस्त्यापित प्रतिलिपि, सेवानिवृत्त के समय जारी पेंशन पेमेंट आर्डर की प्रतिलिपि एवं पेंशनर तथा जीवनसाथी के 3 संयुक्त छायाचित्र के साथ उस क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक के पास जमा करना होगा जहाँ से पेंशन भोगी सेवानिवृत्त हुआ है। यदि सेवानिवृत्त एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर से हुई थी तो इसे पीएफ – पेंशन सेल, एसईसीएल मुख्यालय में जमा करना होगा। दूर - दराज क्षेत्रों में निवास करने वाले पेंशन भोगी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्णतः भरकर उपरोक्त दस्तावेजों की स्वस्त्यापित प्रतिलिपि एवं फोटोग्राफ के साथ संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक को भेज सकते हैं। संशोधित PPO हेतु निर्धारित प्रोफार्मा एसईसीएल के वेबसाइट [www.secl-cil.in](http://www.secl-cil.in) में उपलब्ध है।

उप महाप्रबंधक (का/अधि.स्था/पीएफ-पेंशन)  
एसईसीएल, बिलासपुर

प्रति,

FORMAT(H)

क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक,  
..... क्षेत्र  
(जहाँ से कर्मचारी सेवानिवृत्त / सेवा पृथक हुआ हो उस क्षेत्र का नाम)

अथवा

मुख्य प्रबंधक (का./ पीएफ – पेंशन)  
एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर  
(यदि सेवानिवृत्त / सेवा पृथक यदि मुख्यालय से हुए है)

विषय :- संशोधित पीपीओ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनवाद, के द्वारा जारी पत्र क्रमांक CPE/111/26/PEN/MISC/HQ/VOL-III/520 : दिनांक 25.08.2023 के मन्दर्भ में संशोधित पीपीओ जारी किये जाने हेतु वांछित दस्तावेज एतत् द्वारा संलग्न है। स्वयं एवं पति / पत्नी (Spouse) का विवरण निम्नानुसार है :-

पेंशन भोगी का नाम .....

पति / पत्नी का नाम .....

सीएमपीएफ खाता संख्या .....

पीपीओ नं. एवं दिनांक .....

अंतिम पदस्थापना स्थल ( ईकाई एवं क्षेत्र) .....

एनईआईएस /ईआईएस नं. ....

पेंशन भोगी का बैंक खाता विवरण – खाता संख्या .....

(पति / पत्नी के साथ फॉर्मर एवं सर्वाइवर मोड में) बैंक एवं ब्रांच का नाम .....

आईएफएससी कोड .....

अन्य विवरण

	पेंशन भोगी	पति / पत्नी
आधार संख्या		
पैन संख्या		
मोबाईल नं.		
ई मेल आईडी		

अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र संशोधित पीपीओ जारी किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

धन्यवाद।

संलग्न दस्तावेज :

1. पति एवं पत्नी का संयुक्त छायाचित्र – 3 नग
2. संयुक्त बैंक खाता पासबुक की स्वसत्यापित छायाप्रति (फॉर्मर एवं सर्वाइवर मोड में)
3. पति एवं पत्नी के आधार कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति
4. पति एवं पत्नी के पैन कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति
5. पीपीओ की स्वसत्यापित छायाप्रति

भवदीय

पेंशन भोगी का हस्ताक्षर .....

पेंशन भोगी का नाम .....

वर्तमान पता .....

जिला ..... राज्य.....

पिन कोड .....

To,  
**The Area Personnel Manager,** ----- **Or** ----- **The Chief Manager(P/ PF Pension)**  
 -----**Area** ----- **SECL HQ, Bilaspur**  
**(Area From where employee superannuated/separated)** **(If superannuated/separated from HQ)**

Sub: - Issuance of Revised PPO

Dear Sir,

In reference to the letter No. CPE/111/26/PEN/MISC/HQ/VOL-III/520 Dated 25.08.2023, issued by the Commissioner, Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad, the desired Documents are enclosed here with for issuance of revised PPO. The details of self and spouse are given below.

Name of Pensioner -----

Name of the Spouse -----

CMPF No. -----

PPO No. & Date -----

Last Place of Posting (Unit & Area) -----

NEIS/EIS No. -----

Bank Account Details of pensioner- Bank Account No. -----

(Former or Survivor Mode with spouse) Bank & Branch Name-----

IFSC Code -----

Other details-

	Pensioner	Spouse
Aadhar No.		
PAN No.		
Mobile No.		
E mail id		

You are therefore requested to take necessary action for the issue of revised PPO at the earliest.

Thanking you,

DOCUMENT ENCLOSED:

1. JOINT PHOTOGRAPH WITH SPOUSE: 3 Nos.
2. SELF CERTIFIED COPY OF BANK ACCOUT (MODE- FORMER OR SURVIVOR
3. SELF CERTIFIED COPY OF AADHAAR CARD OF SELF AND SPOUSE
4. SELF CERTIFIED COPY OF PAN CARD OF SELF and SPOUSE
5. SELF CERTIFIED COPY OF PPO INTIMATION COPY

Yours faithfully

Signature of pensioner-----

Name of pensioner -----

Present Adrees-----

District-----State-----

Pin Code-----